न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 59/2018 अपील

श्री गोविन्द पुत्र सांवता जाट निवासी – दांतड़ा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हुरडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

–अपीलार्थी

–रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व निर्णय तहसीलदार हुरडा प्रकरण सं. 111/2017
निर्णय दिनांक 08.12.2017 अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू. राज. अधिनियम

उपस्थित –

श्री मोहम्मद इमरान, गोपाल अजमेरा अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से

श्री विपुल बापना राजकीय अभिभाषक – रेस्पोडेण्ट की ओर से

निर्णय

दिनांक 08.05.2019

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्ध आदेश तहसीलदार हुरडा प्रकरण सं0 111/2017 निर्णय दिनांक 08.12.2017 के खिलाफ प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पटवार हल्का दांतडा द्वारा एक रिपोर्ट ग्राम दांतडा की आराजी सं. 279 की 02 बिस्वा भूमि पर मकान एवं बाड़ा बना होकर बताकर प्रस्तुत किये जाने के आधार पर पत्रावली दर्ज की गयी एवं अपीलाण्ट की उपस्थिति बताकर दिनांक 08.12.2017 को बेदखली एवं शास्ती बाबत् आदेश जारी किया गया जो पूर्णतया विधि विपरीत है। प्रार्थी को इस बाबत् को कोई नोटिस नही मिला, न ही अपीलाण्ट ने हस्ताक्षर किये। अपीलाण्ट राजकीय सेवा में होकर ग्राम खेजडी विद्यालय में अध्यापक के पद पर कार्यरत है। अपीलाण्ट का आराजी सं. 279 पर कोई कब्जा नही है। अपीलाण्ट 279/2 पर पुश्तैनी तौर लम्बे समय से काबिज है। आराजी सं. 279/2 रास्ते की भूमि नही है, बल्कि आबादी बसावट है। जिस पर लम्बे अर्से से करीब 25–30 वर्षों से पक्के मकान व बाड़ा बना हुआ है। अपीलाण्ट का मकान रास्ते से करीब 50–60फीट दूरी पर है तथा कब्जेशुदा मकान आराजी सं. 279/2 पर है जो गे.मु. रास्ता किस्म भी नही है। आदेश जैर बहस ने ग्राम लक्ष्मीपुरा दांतड़ा की आराजी सं. 279 दर्ज की जबकि ग्राम लक्ष्मीपुरा मे अपीलाण्ट का कोई कब्जा नही है। आदेश जैर बहस पूर्णतया न्यायिक विवेक का इस्तेमाल किये बिना पारित किया गया है जो

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाडा (राज.)

अपास्त होने योग्य है। अपील अन्दर अवधी प्रस्तुत है फिर भी जानकारी के अभाव में हुयी देरी को माफ करने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश है। निवेदन हैं कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय व आदेश अपास्त फरमाया जावे।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 17.05.2018 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

अपीलार्थी अधिवक्ता एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि पटवार हल्का दांतडा द्वारा एक रिपोर्ट ग्राम दांतडा की आराजी सं. 279 की 02 बिस्वा भूमि पर मकान एवं बाड़ा बना होकर बताकर प्रस्तुत किये जाने के आधार पर पत्रावली दर्ज की गयी एवं अपीलाण्ट की उपस्थिति बताकर दिनांक 08.12.2017 को बेदखली एवं शास्ती बाबत् आदेश जारी किया गया जो पूर्णतया विधि विपरीत है। प्रार्थी को इस बाबत् को कोई नोटिस नही मिला, न ही अपीलाण्ट ने हस्ताक्षर किये। अपीलाण्ट का आराजी सं. 279 पर कोई कब्जा नही है। अपीलाण्ट 279/2 पर पुश्तैनी तौर लम्बे समय से काबिज है। आराजी सं. 279/2 रास्ते की भूमि नही है, बल्कि आबादी बसावट है। आदेश जैर बहस ने ग्राम लक्ष्मीपुरा दांतड़ा की आराजी सं. 279 दर्ज की जबकि ग्राम लक्ष्मीपुरा मे अपीलाण्ट का कोई कब्जा नही है। आदेश जैर बहस पूर्णतया न्यायिक विवेक का इस्तेमाल किये बिना पारित किया गया है जो अपास्त होने योग्य है। निवेदन हैं कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय व आदेश अपास्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि गोविन्द पुत्र सांवता जाट निवासी दांतड़ के द्वारा ग्राम दांतड़ा के आराजी नं. 279 की 02 बिस्वा भूमि किस्म गे.मु. रास्ता पर अतिक्रमण करने पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत तहसीलदार हुरडा द्वारा प्रकरण सं. 111/2017 दर्ज कर धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर गोविन्द पिता सांवता जाट द्वारा नाजायज अतिक्रमण करने के कारण शास्ति 02/–रू. से दिनांक 08.12.2017 को दण्डित किया गया है जो नियमानुसार है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाकर तहसीलदार हुरडा का निर्णय यथावत रखे जाने का आदेश प्रदान करावें।

पत्रावली का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया और बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया कि ग्राम दांतड़ा तहसील हुरडा के आराजी नं. 279 की 02 बिस्वा किस्म गे.मु. रास्ता भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार हुरडा के निर्णय अनुसार अतिक्रमी का उक्त आराजी नं. 279 रकबा 02 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण होने से 02/–रूपये शास्ति आरोपित की गयी।

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार हुरडा द्वारा पटवारी हल्का की

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

रिपोर्ट अनुसार आराजी नं0 279 रकबा 02 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण कर लिये जाने से प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया गया और अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुए अतिक्रमण से बेदखल किये जाने के साथ उक्त भूमि के वार्षिक लगान का 50 गुणा आर्थिक जुर्माना कुल 02/— रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया था। नियत पेशी दिनांक तक अपीलान्ट ने जवाब पेश नही किया। जिससे स्पष्ट हैं कि अपीलान्ट के द्वारा उक्त भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण करने का अपराध किया है। आराजी नं. 279 रकबा 3.04 बीघा भूमि किस्म गे.मु. रास्ता बिलानाम होकर आर.टी.ए. 1955 की धारा 16 के अंतर्गत प्रतिबन्धित श्रेणी की होने से आवंटन / नियमन योग्य नहीं हैं।

ग्राम लक्ष्मीपुरा दांतड़ा तहसील हुरडा के आराजी नं. 279 रकबा 02 बिस्वा पर अपीलार्थी का अतिक्रमण होने से अपीलान्ट को दोषी मानते हुए अपीलाधीन आदेश से दण्डित करते हुए शास्ति का आरोपण किया जाकर अर्थदण्ड से दण्डित कर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का जो आदेश पारित किया गया हैं वह युक्तियुक्त होकर विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय ने इसमे कोई त्रुटि नहीं की है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जाने योग्य हैं एवं अपील अपीलार्थी खारिज योग्य है। अतएव—

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 विरूद्ध आदेश तहसीलदार हुरडा प्रकरण सं0 111/2017 निर्णय दिनांक 08.12.2017 के कम में खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय हुरडा का निर्णय दिनांक 08.12.2017 को यथावत रखे जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार हुरडा को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.05.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर
भीलवाड़ा (राज.)